न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2009/00047

मिसल नम्बर– 14 / 2009

1. लालचंद
2. अमरलाल पिसरान लटूरलाल
3. चाहन्या बाई पत्नी लटूरलाल
4. मांगीलाल
5. रामकिशन
6. केसरा पिसरान स्व0 सीताराम
7. सुन्दर बाई
8. पार्वती बाई पुत्रियां स्व0 सीताराम जाति माली
   निवासी ग्राम संवर तह0 तालेडा जिला बूंदी

.....वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा।
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

.....प्रतिवादीगण।

–:निर्णय:–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 30/5/24

वादीगण द्वारा वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि –

वादीगण खाते एवं कब्जे काशत की आराजी गत खसरा नं0 193 की 18 बीघा 12 बिस्वा तथा नया खसरा न0 540 रकबा 2.10 हेक्टर वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है, जिसमे वादीगण खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं।

गत रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा के अनुसार वर्तमान मे 2.98 हेक्टर रकबा दर्ज होना चाहिए था, किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने अकारण ही बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आदेश के वादीगण के खाते मे 0.88 है० रकबा कम दर्ज किया है, जिसका कि भू प्रबन्ध विभाग को अधिकार प्राप्त नही है। भू प्रबन्ध विभाग ने इस कमी रकबे मे से 0.40 है0 आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया, शेष 0.48 है0 आराजी को अन्य खातेदार के खाते मे दर्ज कर दिया।

किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के वर्तमान मे नये खसरा नं० 540 रकबा 2.10 हेक्टर, खसरा नं0 539 रकबा 0.40 है0 कायम किये, जिसमे से खसरा नं0 540 रकबा 2.10 हेक्टर तो वादीगण के नाम दर्ज कर खसरा नं० 539 रकबा 0.40 है0 सिवायचक दर्ज कर देने के कारण जिला कलेक्टर कोटा ने अपने आदेश क्रमांक प–15 (118)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

राजस्व तृतीय/2010/8017–23 दिनांक 4.11.2010 के जरिये नगर विकास न्यास को आवंटन कर दिया, उक्त आराजी वर्तमान मे इ०नं0 680 दिनांक 12.01.11 से नगर विकास के नाम दर्ज हो गई है, जब कि उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की अराजी का ही भाग है, जिला कलेक्टर को उक्त आराजी बिना वादीगण को सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादी क्रम 2 को आवंटन करने का अधिकार नहीं है, अतः उक्त आवंटन अवैध, अनाधिकृत, व गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है।

वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 को इन्द्राज दुरूस्ती बाबत दिनांक 27.02.2008 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस धारा 80 सीपीसी का दिया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया, तथा उसकी अवधि समाप्ति तक भी प्रतिवादी द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का कार्य नही किया जाने से यह वाद पेश है।

वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त कमी रकबे को दुरूस्त करवा कर स्वयं को गत रकबे अनुसार वर्तमान मे दर्ज रकबे 2.10 हेक्टर के स्थान पर 2.98 हेक्टर आराजी को खातेदार कृषक घोषित करवा सके, तदनुसार वर्तमान में कमी रकबा 0.88 अपने खाते दर्ज करवा कर लगान राज कायम करवा सके, तथा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 04.11.10 व इंतकाल नं0 680 दिनांक 12.1.2011 को अवैध, अनाधिकृत घोषित करवा कर निरस्त करवा सके तथा वर्तमान खसरा नं० 539 रकबा 10.48 है0 को अपने नाम दर्ज करवा सके तदनुसार गत रकबे अनुसार 2.98 हेक्टर भूमि का अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवा कर अपने खाते मे पूर्व अनुसार 2.98 हेक्टर भूमि अंकित करवा सके, जिसके लिए इस वाद के अलावा अन्य समीचीन रेमेडी नही है।

वाद कारण बिना स्वीकृति व बिना आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के रकबे में कमी करने पर, दिनांक 27.02.08 की नोटिस की अवधि समाप्ति पर एवं जिला कलेक्टर द्वारा वादीगण की खसरा नं0 539 की 0.40 है० भूमि को दिनांक 4.11.10 को प्रतिवादी क्रम 2 को आवंटित कर देने व इन्तकाल नं० 680 दिनांक 12.1.11 से उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 के नाम दर्ज हो जाने पर माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण को ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा में उनके खाते में दर्ज गत खसरा नं0 193 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा आराजी के अनुसार वर्तमान मे दर्ज 2.10 हेक्टर के स्थान पर 2.98 हेक्टर आराजी दर्ज करते हुए खातेदार घोषित किया जावे, तदनुसार कमी रकबे 0.88 है० का इन्द्राज दुरूस्त कर 0.88 है० आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने व लगान राज कायम करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को दिया जाये, तथा जिला कलेक्टर कोटा का प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष मे खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संख्या 539 की भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 04.11.10 ता उसके पक्ष मे खोले गये इन्तकाल नं0 680 दिनांक 12.01.2011 को निरस्त किया जाकर खसरा संख्या 539 की 0.40 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 2 के खाते से कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास कोटा की ओर से निम्न जवाब दावा पेश किया गया:–

माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जन प्रयोजनार्थ न्यास के पक्ष में खसरा नम्बर 539 का किया गया आवंटन उचित एवं वैध है जन प्रयोजनार्थ जिला कलेक्टर महोदय किसी भी भूमि को न्यास के पक्ष में आवंटन करने के लिये अधिकृत है और उक्त हेतु आवंटन आदेश के विरूद्ध व इन्तकाल संख्या 680 के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील तथाकथित आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर रखी है जिसमें वादीगण का प्रार्थना पत्र स्थगन आर.ए.ए. द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेशो के विरूद्ध भी वादीगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय उक्त प्रकरण में आवंटन आदेश व इन्तकाल आदेश को निरस्त करने के लिये कानूनन अधिकृत नहीं है। इसलिये वादीगण द्वारा चाही गयी रिलीफ कानून के विपरीत होने से दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

उक्त प्रकरण में विवादित आराजियात वर्तमान में कलेक्टर द्वारा नगर विकास न्यास के पक्ष में आवंटन करने के पश्चात आवासीय उपयोग में ली जा रही है और आवासीय भूमि के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसकी सुनवाई का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है और श्रवणाधिकार के अभाव में उक्त वाद निरस्तनीय है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि के प्रतिवादी क्रम 2 को जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन करने के पूर्व वादीगण के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान भी है जिनको वादीगण ने इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है इस आधार पर भी दावा मेन्टेनेबल नहीं है।

वादीगण के खाते की खसरा नम्बर 539 की 0.40 हैक्टर आराजियात राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन कर न्यास के खाते में दर्ज कर दी गयी है जिसके संबंध में वादीगण को अब किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है केवल मात्र वादीगण उक्त आराजियात के संबंध में सिविल कोर्ट के समक्ष मुआवजा हेतु उचित कार्यवाही कर मुआवजा प्राप्त कर सकते है इसी आधार पर वादीगण का घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध उक्त वाद पेश करने से पूर्व धारा 98 नगर विकास न्यास अधिनियम का सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया है उसके अभाव में उक्त दावा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है।
अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जावे और वादीगण से प्रतिवादी संख्या 2 को विशेष हर्जा 20,000/– रूपये दिलवाये जावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–
रिकोर्ड के अनुसार भू प्रबंध जमाबंदी संवत 2038–57 के अनुसार मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है–

वर्तमान ख0स0	रकबा	गत ख0सं0	रकबा
539	0.40	193/1305	–
540	2.10	193	–

मुताबिक जमाबंदी संवत 2028–31 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 193 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा सीताराम पुत्र श्री उद्दा कोम माली सा0 संवर तह0 तालेडा के नाम दर्ज रिकोर्ड थी।
मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकोर्ड खसरा सं0 540 रकबा 2.10 है0 अमरलाल, केशरा, पार्वती, मन्नू, मांगीलाल, रामकिशन, राममूर्ति, लालचंद, सुंदरबाई के नाम दर्ज रिकोर्ड है। खसरा संख्या 539 वर्तमान मे यूआईटी के खाते दर्ज रिकोर्ड है।
मुताबिक मौका स्थिति के प्रार्थी खसरा संख्या 540 तथा 539 पर कृषि कार्य कर रहा है।

न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 12.07.2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–
रिकोर्ड अनुसार आराजी भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2028–31 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 193 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा सीताराम पुत्र श्री उद्दा कोम माली सा0 संवर तह0 तालेडा के नाम दर्ज रिकोर्ड थी।
सेटलमेंट के बाद खसरा सं0 540 रकबा 2.10 है0 अमरलाल, लालचंद पुत्रान राममूर्ति बाई, मन्नू बाई पुत्रियां चाहल्या बाई बेवा लटूर व मांगीलाल, केसरा, पुत्र सुन्दर बाई पार्वती पुत्रियां सीताराम कौम माली सा संवर जिला बूंदी के नाम दर्ज रिकोर्ड है।
सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 193 के नवीन नम्बर 540 रकबा 2.10 है, 539 रकबा 0.40 है साबिक खसरा संख्या 193/1305 से बनाये गये है।
प्रार्थी मौके पर खसरा सं0 540 रकबा 2.10 है0 पर काबिज काश्त है। मुताबिक न क्शा प्रार्थी के खाते मे रकबा कमी खसरा संख्या 539 रकबा 0.40 है को सिवायचक दर्ज करने से हुई है जो सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई है। वर्तमान मे नामन्तकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

680 दिनांक 12.01.2011 से नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज हो चुकी है। खसरा सं0 539 रकबा 0.40 है0 पर नगर विकास न्यास का कब्जा है।
खसरा सं0 540 रकबा 2.10 है0 मे रकबा कम हुआ है। एवं खसरा सं0 539 रकबा 0.40 है0 रकबा बढ़ा है जो सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन खसरा संख्या दर्ज करने से हुआ है। उक्त भूमि पर नगर विकास न्यास का कब्जा हैं

प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत निम्न तनकियां कायम की गई।

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात को सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा कम किया गया है। उसका वादीगण दुरूस्तीकरण करने का अधिकारी है।

..... **वादीगण**

2. आया सेटलमेंट विभाग को वादीगण की आराजी का रकबा कम करने का अधिकारी नही है। .....**वादीगण**

3. आया वादीगण की सेटलमेंट रकबा कमी करते हुये हाल मे नगर विकास न्यास के खातेदारी मे दर्ज होने के पश्चात वादीगण उक्त आराजीयात को नगर विकास न्यास के खातेदारी को भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है। ..... **वादीगण**

4. आया वादीगण का वाद मेटेलेबल नही है। .....**प्रतिवादीगण**

5. सहायता

बहस सुनी गई।
वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली है।
वादीगण का कथन है कि वादीगण की खातेदारी मे गत खसरा नं0 193 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा दर्ज था। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा नं0 540 रकबा 2.10 है0 कायम किया जाकर 0.88 है0 कम किया गया है। जिसमे से 0.40 है0 आराजी सिवायचक दर्ज कर शेष भूमि को अन्य खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।
वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय एसबी सिविल रिट अपील नं0 1325/2000 निर्णय दिनांक 11.07.2000 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अ नुसार सेटलमेंट–सेटलमेंट ऑपरेशन–भूमि की किस्म, कृषकों के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सेटलमेंट विभाग को अधिकार नही है।– किसी भी व्यक्ति पर खातेदारी अधिकार– प्रदत्त करने का उसे अधिकार नही है। – सामान्य सेटलमेंट ऑपरेशन तक ही शक्तियां सीमित है।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया ।
बहस पर गंभीरतपूर्वक मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात को सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा कम किया गया है। उसका वादीगण दुरूस्तीकरण करने का अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है।

पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2028–31 के अनुसार सीताराम पुत्र उद्दा के खाते खसरा संख्या 193 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज रिकोर्ड थी।

प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 के अनुसार गत खसरा संख्या 193 का नवीन खसरा नम्बर भू प्रबंध विभाग द्वारा 540 रकबा 2.10 है0 बनाया गया है।

पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 539 रकबा 0.40 है0 गत खसरा संख्या 193/1305 से बना है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे ना तो गत खसरा संख्या 193/1305 का उल्लेख किया गया है और ना ही इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि गत खसरा संख्या 193/1305 किस आधार पर बना था। वादीगण द्वारा भू प्रबंध से पूर्व की जमाबंदी प्रस्तुत नही की गई। जो उस कारण को स्पष्ट कर सके कि खसरा संख्या 193/1305 किस आधार पर बना तथा भू प्रबंध से पूर्व किस के खाते दर्ज था। स्पष्टतया वादीगण द्वारा पूर्ण तथ्य अपने वाद पत्र मे प्रस्तुत नही किये है। यह प्रमाणित है कि वर्तमान खसरा सख्या 539 रकबा 0.40 है0 गत खसरा संख्या 193/1305 से बना है। तथा वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि उक्त खसरा वादीगण के खाते दर्ज था। वादीगण अपने वादपत्र मे वर्णित किया गया है कि खसरा संख्या 539 उनके खाते की भूमि से बनाया गया है लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो उनके कथन को प्रमाणित कर सके। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि उक्त खसरा गत खसरा संख्या 193/1305 से बना है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित किया गया है कि उनके खाते की 0.48 है0 आराजी अन्य खातेदारों के खाते दर्ज कर दी गई है। लेकिन उक्त आराजी किन खातेदारों के दर्ज की गई, उन खातेदारों के खाते मे भू प्रबंध से पूर्व कितनी आराजी थी तथा भू प्रबंध द्वारा उनके खाते कितनी आराजी दर्ज की गई का कोई विवरण अपने वादपत्र मे प्रस्तुत नही किया गया है। न्याय का स्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक वादी को अपना पक्ष स्वयं प्रमाणित करना होता है। लेकिन वादीगण ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाये है जो उनके कथनों को प्रमाणित करता हो। स्पष्टतया वादीगण तथ्यों का सही विवेचन कर न्यायालय मे उपस्थित नही हुये है। तथा यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि उनके खाते मे भू प्रबंध विभाग द्वारा कोई कमी की गई हो। अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

2. आया सेटलमेंट विभाग को वादीगण की आराजी का रकबा कम करने का अधिकारी नही है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है।

तनकी नं0 1 मे विस्तृत विवेचन से यह प्रमाणित है कि वर्तमान खसरा संख्या 539 गत खसरा 193/1305 से बना है। तथा वादीगण यह प्रमाणित करने मे भी असफल रहे है कि खसरा 193/1305 उनके खाते की आराजी थी।

तनकी नं0 1 के विवेचन से यह प्रमाणित है कि वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा उनके रकबे मे कोई कमी की गई हौ। उक्त परिस्थिति मे तनकी नं0 2 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

3. आया वादीगण की सेटलमेंट रकबा कमी करते हुये हाल मे नगर विकास न्यास के खातेदारी मे दर्ज होने के पश्चात वादीगण उक्त आराजीयात को नगर विकास न्यास के खातेदारी को भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है।

तनकी नं0 1 व 2 विरूद्ध वादीगण तय की गई है। वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है। कि भू प्रबंध विभाग द्वारा उनका कोई रकबा कम किया गया हो। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास द्वारा अपने जवाब दावें मे यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 539 का आवंटन श्रीमान जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 04.11.2010 को नगर विकास न्यास को कर दिया गया था। तथा उक्त भूमि इंतकाल नं 0480 दिनांक 12.01.2011 से नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हुई थी। नगर विकास न्यास द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि वादीगण द्वारा आवंटन आदेश तथा इंतकाल नं0 680 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष पेश कर रखी है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा वादीगण का प्रार्थना पत्र स्थगन निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है। जो विचाराधीन है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि नगर विकास न्यास द्वारा उक्त जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2017 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 11.10.2017 के उपरांत उक्त प्रकरणों मे क्या कार्यवाही हुई से इस न्यायालय को अवगत नही कराया गया है। तनकी नं0 1 और 2 मे किये गये विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा उनका रकबा कम किया गया हो। अतः उक्त विवेचन के क्रम मे तनकी नं0 3 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

4. आया वादीगण का वाद मेटेलेबल नही है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 05.01.2015 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2016 को निर्णित कर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज कर दिया गया था। तनकी नं0 4 से संबंधित सम्पूर्ण तथ्य निर्णय दिनांक 12.03.2016 का भाग है अतः उक्त तनकी को पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता नही है।

5. सहायता

तनकी नं0 1,2 3 विरूद्ध वादीगण तय की गई है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

❖ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

(मनेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा